

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 285 / 2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये  
तहसीलदार पचपदरा

1. हाथीराम पुत्र मोटाराम चौधरी
2. नेनू पत्नि कानाजी पुत्रवधु वरदाजी चौधरी
3. लादूराम गोदपुत्र हठाराम कौम कलबी
4. सनियादेवी पत्नि घेवाराम कौम कलबी
5. ईश्वरराम, प्रागाराम, सूजाराम, पांचाराम पि.  
झूठाराम, भेमाराम, जोराराम, रूगाराम पि0  
खुशालाराम, सिणगारी देवी पत्नि  
खुशालाराम, नवाराम, डामरराम, आम्बाराम  
पि. गोका कौम कलबी  
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60  
भू-अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक 09.11.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम बुड़ीवाड़ा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो बुड़ीवाड़ा से जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम बुड़ीवाड़ा के खसरा नम्बर 901/264 रकबा 35-08 बीघा में से 0-07 बीघा, खसरा नम्बर 897/263 रकबा 37-01 बीघा में से 0-16 बीघा, खसरा नम्बर 1157/262 रकबा 36-04 बीघा में से 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 1156/262 रकबा 36-04 बीघा में से 0-10 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 52-12 बीघा में से 0-12 बीघा, भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल ..... में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प बुड़ीवाड़ा में विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और कुछ संबंधित खातेदार उपस्थित हुऐ रास्ता कटान किये जाने की सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये गये। और ग्राम में रास्ता कटान हेतु तहसीलदार पचपदरा ने उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि ग्राम को जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चूंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

नरेश सोनी  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा



प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एव पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत में होने की ताईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरूद्ध रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरो के अवरूद्ध रास्ते को जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे ग्राम बुडीवाड़ा के खसरा नम्बर 901/264 रकबा 35-08 बीघा में से 0-07 बीघा, खसरा नम्बर 897/263 रकबा 37-01 बीघा में से 0-16 बीघा, खसरा नम्बर 1157/262 रकबा 36-04 बीघा में से 0-01 बीघा, खसरा नम्बर 1156/262 रकबा 36-04 बीघा में से 0-10 बीघा, खसरा नम्बर 216 रकबा 52-12 बीघा में से 0-12 बीघा, भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल :::: मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।



(निरेश सोनी)  
भू-अभिलेख अधिकारी,  
(एस.डी.ओ.), पंचपदरा,  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा